

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारा (राज.)**

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/21	88, 89, 90, 91, 53, 188 RTA	मूलौत	६६३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
दौलत	बनाम	हरदयाल वर्ग.	

वकील :-

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15/3/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 53, 188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक ..... 26/4/2021 को पेश हो।</p> <p align="center">शिविर</p>	
26/4/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/5/21 को पेश हो।</p> <p align="center">शिविर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
5/5/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29/6/21 को पेश हो।</p> <p align="center">शिविर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
29/6/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4/8/21 को पेश हो।</p> <p align="center">शिविर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
12/11/21	<p><b>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021</b> शिविर..... मूलौत..... पर पत्रावली पेश हुई। पशुकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 5/10/22 को पेश हो।</p>	

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अनुपस्थित। वकील प्राची को तीन बार रुक रुक कर आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदालत हाजरी अदालत परकी रकारिण किया जाता है। पत्रावली पेश करने सुभार होकर दायित्व दफतर हो।